न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 47 / 2024(GCMS: 2024/82)
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र गुरनाम सिंह निवासी 11 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **फर्म गुरप्रीत सिंह टॉयर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे**, करणपुर चुंगी रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी गुरप्रीत सिंह की ओर से श्री परमजीत सिंह, अधिवक्ता एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री विरेन्द्रपाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी का व्यवसाय ऑटोमोबाईल से संबंधित है। अप्रार्थी की टॉयर वर्क शॉप एवं डी.जे. की दुकान करणपुर चुंगी रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित है। दिनांक 11.03.2024 को रसद विभाग के अधिकारीगण द्वारा 106 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनिया व प्लास्टिक बोतल को इस आधार पर सीज किया गया कि अप्रार्थी ने पूछताछ में यह बताया कि अप्रार्थी पंजाब से पेट्रोल सस्ता होने के कारण यहां लाकर बेचता है। रसद विभाग का यह आक्षेप बिल्कुल मिथ्या व निराधार है क्योंकि अप्रार्थी यदि ऐसा पेट्रोल विक्रय करने का कार्य कर रहा होता तो वहां पर पेट्रोल देने के लिए माप व पैमाने भी दुकान पर पाये जाते।

उनका आगे यह भी कथन है कि रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा मनाई गयी फर्द मय जब्ती कम्पयूटरीकृत बनाये गये परफॉर्मा में है, जिसका तात्पर्य है कि जहां कही भी पेट्रोल अथवा डीजल व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु संग्रहित हो, वहां पर 6ए का प्रकरण बनाने के लिए खाना पूर्ति की जाकर पदार्थ को सीज करके एक प्रकरण का उत्पादन किया जा सके।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आकर्षित होते है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) के अन्तर्गत सर्च हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही शीर्षक प्रकरण में नहीं होने के कारण जांच व फर्द जब्ती विधिक तौर पर मान्य नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि फर्द जब्ती विधिक तौर पर तब तक मान्य नहीं होती जब तक इसे अभियोजन के द्वारा साबित न करवाया जावे। प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अप्रार्थी के द्वारा पेट्रोल विक्रय किया जा रहा था और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख है कि उसके द्वारा अप्रार्थी से पेट्रोल क्रय किया गया। इस प्रकार केवल फर्द जब्ती के आधार पर कभी कोई वस्तु राजसात नहीं हो सकती। अधिनियम की उल्लंघना किस प्रकार से की गई, पेट्रोल रखना किसी प्रकार से अवैध कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए अप्रार्थी ने उससे जब्त पेट्रोल मय कैनिया, प्लास्टिक बोतल को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि अवैध पेट्रोल व डीजल के बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु दिनांक 11.03.2024 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ, करणपुर चुंगी रोड़, श्रीगंगानगर स्थिति दुकान/फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे पर पहुंचे तो मौके पर गुरप्रीत पुत्र श्री गुरनाम राम उपस्थित मिला। गुरप्रीत की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में पांच काले रंग की प्लास्टिक की कैनियां व 2 लीटर क्षमता की तीन प्लास्टिक की बोतलों में भण्डारण पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर गुरप्रीत ने पांच काले रंग की प्लास्टिक कैनियों में कुल 100 लीटर पैट्रोल व तीन प्लास्टिक की बोतलों में 06 लीटर पेट्रोल भरा होना बताया। मौके पर दुकान में कुल 106 लीटर पैट्रोल का

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

भण्डारण पाया गया। जिसे पूछताछ करने पर गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम ने पेट्रोल मय कैनिया और बोतल स्वयं का होना स्वीकार किया ।

उनका आगे यह भी कथन है कि गुरप्रीत द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से सस्ते दाम पर पेट्रोल खरीद कर अपनी दुकान/फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे पर विक्रय करना बताया तथा अप्रार्थी गुरप्रीत ने फर्द मौका पर जब्ती पर हस्ताक्षर भी अंकित है, जिससे यह साबित होता है कि उसके द्वारा पेट्रोल पंजाब से खरीद कर अपनी दुकान में विक्रय किया जाता है, इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा 106 लीटर पेट्रोल राजसात करने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर श्री गुरप्रीत पुत्र श्री गुरनाम राम से पेट्रोल ने बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया। इसलिए पांच काले रंग की प्लास्टिक कैनियों में कुल 100 लीटर पेट्रोल तथा तीन प्लास्टिक की बोतलों में कुल 06 लीटर पेट्रोल जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर जब्त किया गया कि कुल 106 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनिया व प्लास्टिक बोतल को मौके पर ही श्री चिराग जग्गा पुत्र श्री गुरचरण जग्गा, मैनेजर जग्गा फिलिंग स्टेशन चक 10 एलएल तहसील गंगानगर की सुपुर्दगी मुं दिया और फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। **वर्ग "क" का भण्डारण 30 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है जबकि अप्रार्थी के पास 106 लीटर पेट्रोल पाया गया है।**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी द्वारा अवैध पैट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ), 03(4), 04 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः अप्रार्थी से जब्तशुदा अवैध 106 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनिया व प्लास्टिक बोतल को राजसात किया जावे।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि और अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि **अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ करणपुर चुंगी रोड़, श्रीगंगानगर स्थित दुकान/फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे पर पहुंचे।** जहां गुरप्रीत उपस्थित मिले। गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। **जांच में उक्त दुकान पर काले रंग की प्लास्टिक की कैनियों व 2 लीटर क्षमता की प्लास्टिक की बोतलों में 106 लीटर पेट्रोल भण्डारित पाया गया।** वक्त पूछताछ श्री गुरप्रीत ने उक्त प्लास्टिक कैनियों और बोतलों में 106 लीटर पैट्रोल होना बताया। **मौके पर श्री गुरप्रीत ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पैट्रोल पंप से सस्ते दामों पर पैट्रोल क्रय कर श्रीगंगानगर में फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे पर विक्रय किया जाता है।** गुरप्रीत द्वारा पैट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नही किया गया। मौके पर फर्म गुरप्रीत टायर वर्क्स शॉप एण्ड डीजे, करणपुर चुंगी रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर उपलब्ध 106 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनियां एवं बोतल जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्त पैट्रोल ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण समस्त 106 लीटर पैट्रोल श्री चिराग जग्गा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पुत्र श्री गुरूचरण जग्गा, आयु 32 जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर मैनेजर जग्गा फिलिंग स्टेशन, चक 10 एल एल तहसील गंगानगर, मोबाईल नम्बर 94162–29638 जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम द्वारा **अवैध पैट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ), 03(4), 04 का स्पष्ट उल्लघंन है।** इसलिए अप्रार्थी ने जब्तशुदा अवैध 106 लीटर पैट्रोल मय 5 प्लास्टिक कैनियां बरंग काला व तीन प्लास्टिक की बोतलों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम से 106 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा 106 लीटर पैट्रोल के क्रय करने के

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बिल पेश नहीं किये गये है और ना ही क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) .....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थीगण से 106 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसकी दुकान में निर्धारित सीमा 30 लीटर पेट्रोल से अधिक पेट्रोल 106 लीटर पेट्रोल प्राप्त हुआ है। चूंकि अप्रार्थी गुरप्रीत पुत्र गुरनाम राम के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 03(4), 04 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा 106 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 106 लीटर पेट्रोल राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थी गुरप्रीत पुत्र गुरनाम से जब्त किया गया 106 लीटर पेट्रोल राजसात किया जाता है। 106 लीटर पेट्रोल एवं अन्य को विक्रय कर, विक्रय राशि राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर